संख्या : 638/USDMA/792(2020)

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

देहरादून, 18 अक्टूबर, 2021

यू.एस.डी.एम.ए.

विषयः **कोविड–19 के संक्रमण के नियत्रंण हेतु 'COVID - Restrictions' (दिनांक 19 अक्टूबर से 20 नवम्बर, 2021) के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।**

महोदया/महोदय,

पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में बढ़ते हुए कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत कोविड कर्फ्यू के आदेश संख्याः 611/USDMA/792(2020), जो दिनांक 06 अक्टूबर, 2021 को जारी किए गए थे, इस कोविड कर्फ्यू की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या : 40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 28 सितम्बर, 2021 के प्रावधानों (संलग्न–Appendix-01) का संज्ञान लेते हुए अग्रिम 31 दिवस के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के साथ **'COVID-Restrictions'** बढ़ाया जाता हैः–

1. **राज्य में 'COVID - Restrictions' दिनांक 19.10.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 20.11.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा।**
2. **'COVID - Restrictions'** के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा।
3. COVID-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए **'COVID - Restrictions'** अवधि में विवाह समारोह में विवाह स्थल/वैडिंग प्वाइन्ट की क्षमता के **50 प्रतिशत** लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत सम्मिलित होने की अनुमति है।
4. विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि (पत्रांक सं0 491/XXIV-B-5/2021–03(01)/2021 दिनांक 31.07.2021 एवं 492/XXIV-B-5/2021–03(01)/2021 दिनांक 31.07.2021) (कक्षा 06 से 12 तक), मानक प्रचलन विधि पत्रांक सं0 625/XXIV-A-1/2021–14/2021 दिनांक 18 सितम्बर, 2021 (कक्षा 01 से 05 तक) तथा समय–समय पर जारी विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितों द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. राज्य के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटेक्निक, महाविद्यालय, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय एवं अन्य सभी शैक्षिक संस्थान सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि के अनुसार संचालित किये जायेगें।

6. राज्य के समस्त प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी एवं गैर सरकारी), प्रशिक्षुओं को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति होगी।

7. राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों/अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए **50 प्रतिशत** क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। इस व्यवस्था को संबंधित संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।

8. समस्त सामाजिक/ राजनीतिक/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक / धार्मिक समारोह/ other gatherings and large congregation का आयोजन कार्यक्रम स्थल की क्षमता के **50 प्रतिशत** संख्या के साथ एवं कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

9. राज्य के समस्त पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत (Weekend) में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

10. COVID Vaccine की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के उपरान्त एवं उन Vaccinated व्यक्तियों के द्वारा राज्य के हवाई अड्डा/रेलवे स्टेशन/बार्डर चेक पोस्ट पर Vaccination का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद बाहरी राज्य से आने वाले व्यक्तियों को उत्तराखण्ड में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जायेगी एवं उन सभी व्यक्तियों को RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report दिखाने में छूट प्रदान की जायेगी परन्तु उन व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW, GOI and राज्य सरकार की SOP एवं COVID Safety Protocol अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

11. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID Vaccination का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

12. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal **'http://smartcitydehradun.uk.gov.in'** पर पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना होगा।

13. **चारधाम यात्रा:**

   i. संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग द्वारा चारधाम यात्रा के लिए जारी मानक प्रचलन विधि शासनादेश संख्या – 633/VI/21–83(5)/2021 दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 के अनुसार चारधाम

यात्रा का संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितों द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ii. जो श्रद्धालु चारधाम मंदिरों में दर्शन की इच्छा रखते है, उन श्रद्धालुओं को स्मार्ट सिटी के अधिकारिक वेबसाइट **http://smartcitydehradun.uk.gov.in** में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के दौरान जनरेट होने वाले ई–पास के द्वारा ही उत्तराखण्ड राज्य में श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति होगी। उत्तराखण्ड के निवासियों को चारधाम के दर्शन के लिए स्मार्ट सिटी के अधिकारिक वेब पोर्टल पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

iii. सभी तीर्थ यात्रियों/श्रद्धालुओं द्वारा COVID वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरांत का प्रमाण–पत्र एवं स्मार्ट सिटी के अधिकारिक वेबसाइट **http://smartcitydehradun.uk.gov.in** में पंजीकरण का प्रमाण दिखाने के बाद ही चार धाम यात्रा की अनुमति प्रदान की जायेगी। ऐसे यात्रियों/श्रद्धालुओं जिनके द्वारा कोविड वैक्सीन की एक अथवा कोई डोज नहीं लगवाई गयी हो, उन सभी को यात्रा की तिथि से अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/TrueNat/CBNAAT/RAT COVID नेगेटिव रिर्पोट के साथ उत्तराखण्ड स्मार्ट सिटी की अधिकारिक वेबसाइट में पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही यात्रा/दर्शन के लिए अनुमति होगी।

iv. जिला प्रशासन एवं देवस्थानम बोर्ड द्वारा मन्दिर में (यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ) दर्शन के दौरान यात्रियों/श्रद्धालुओं द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं भीड़ नियंत्रण के लिए संबंधित पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की जायेंगी।

14. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैत्रिक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा COVID-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार गांव में स्थापित Village quarantine facility में अनिवार्य रूप से 7 दिवसों तक isolation में रहेगें। उक्त isolation पूर्ण होने के उपरान्त COVID-19 के लक्षण परिलक्षित न होने पर अपने घर में जा सकते है। उपरोक्त Village quarantine facility संचालन पर (पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, बिस्तर आदि) आने वाले व्यय का भुगतान ग्राम पंचायत को State Finance Commission से प्राप्त निधि से वहन किया जायेगा। तथा इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund) एवं CMRF से village quarantine facility में होने वाले व्यय ग्राम पंचायत को प्रदान किया जायेगा।

15. जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार Quarantine centers का संचालन जिला स्तर पर किया जायेगा तथा उपरोक्त पर आने वाले व्यय का भुगतान State Disaster Response Fund के COVID-19 Management के मानक अनुसार एवं CMRF से वहन किया जायेगा।

16. **'COVID - Restrictions'** अवधि में नगर निगम/ पालिका/ निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़–भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें।

17. **'COVID - Restrictions'** अवधि में राज्य की समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित) यथावत (24X7) संचालित होगी।

18. समस्त वित्तीय संस्थानों/अधिष्ठान (Related to Banking, Finance & Insurance), अपनी कार्य अवधि के अनुसार कार्यालयों का संचालन करेंगे।

19. **'COVID - Restrictions'** अवधि में राज्य की समस्त Public Utilities यथावत संचालित रहेंगी।

20. **वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:**

i. समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) व्यापार मण्डल द्वारा पूर्व से निर्धारित साप्ताहिक बन्दी के दिवस को छोड़कर अन्य दिवसों में खुले रहेंगे।

ii. राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए **50 प्रतिशत** क्षमता के साथ खुलेंगे।

iii. राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान सभी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए **50 प्रतिशत** क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान को खेल विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोला जायेगा।

iv. समस्त सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी।

v. राज्य में विभिन्न पर्यटक स्थलों पर वर्तमान में सप्ताहांत (Weekend) में हो रही भीड़ का आंकलन करते हुए उसके नियंत्रण हेतु इन पर्यटक स्थलों की क्षमता एवं वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कितने प्रतिशत पर्यटकों को सप्ताहांत में आवाजाही/भ्रमण की अनुमति दी जा सकती है एवं अन्य कोई प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है तो संबंधित जिलाधिकारी अपने स्तर से निर्णय लेकर इन पर्यटक स्थलों पर लागू करेगें। इस दौरान COVID Appropriate Behaviour का अनुपालन कड़ाई से संबंधित पर्यटक स्थलों के प्रशासन द्वारा किया जायेगा एवं उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध सख्ती से कारवाई सुनिश्चित की जाए।

होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों :

vi. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल **50 प्रतिशत** क्षमता के साथ Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway/ होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

vii. होटलों में स्थित Conferance Hall, Spa and Gym का उपयोग COVID Protocol का अनुपालन के साथ **50 प्रतिशत** क्षमता में किये जाने की अनुमति है।

21. **परिवहन:**

i. Inter-State movement of public transport shall continue to operate with 100% occupancy and subject to SOPs issued by State Transport Department. Passengers travelling to the State by air, bus, railways and private vehicles/ taxi shall register on Smart City e-pass web portal **(http://smartcitydehradun.uk.gov.in)** of Uttarakhand Government prior to commencement of their journey. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों (बस और टैक्सी के ड्राईवर, कन्डक्टर और हैल्पर) को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT Negative

Test Report के साथ (COVID Vaccine के दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में) ही राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी।

ii. सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से **(Intra-state and Inter-state)** आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एस0ओ0पी0 के अधीन जारी रहेगा।

iii. विक्रम, ऑटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति है।

iv. राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊँ एवं कुमॉऊ से गढ़वाल यूपी के बार्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे (अन्तर्राज्यीय), उन्हें राज्य सरकार के Smart City के e-pass web portal **(http://smartcitydehradun.uk.gov.in)** पर पंजीकरण करवाना होगा।

v. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी Armed Forces (Army and CPMF) के अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT) की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु उन यात्रियों को राज्य सरकार के Smart City के e-pass web portal **(http://smartcitydehradun.uk.gov.in)** पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

vi. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने/उतारने की (24x7) अनुमति है।

22. समस्त कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं संबंधित गतिविधियां पूर्णतः संचालित रहेगी।

23. **सरकारी और निजी उद्योग/औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालन (24x7) के संबंध में:**

i. All Industries in both urban and rural areas shall operate with strict adherence to SOPs and Covid-l9 safety protocol.

ii. जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में SOP का सख्ती से पालन किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई/कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएगें।

24. सरकारी और निजी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां राज्य सरकार द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि एवं कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार संचालित होंगी।

25. **भारत सरकार के कार्यालय :**

i. राज्य में स्थित भारत सरकार के समस्त विभाग एवं कार्यालय दैनिक रूप से खुले रहेंगे एवं **100 प्रतिशत** मानव शक्ति के साथ कार्य करेंगे।

ii. शासकीय कार्यालय एवं विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा जारी आदेश सं–492/XXXi(15)जी/ 2021–04(सा)/2021 दिनांक 26 जुलाई, 2021 का

सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा अनुपालन किया जायेगा (छायाप्रति संलग्न – Appendix - 02)।

26. **राज्य सरकार के कार्यालय :**

i. सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखंड सरकार के आदेश सं–492/XXXi(15)जी/2021–04(सा)/2021 दिनांक 26 जुलाई, 2021 के क्रम में प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय एवं विभाग **100 प्रतिशत** क्षमता के साथ खोले जायेगें (छायाप्रति संलग्न – Appendix - 02)।

27. **Offices of the Private/ Civil Society Sector:**

i. निजी/कॉर्पोरेट और सिविल सोसाइटी क्षेत्रों के कार्यालय **पूर्ण मानव शक्ति** (Work Force) एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्य करने की अनुमति है।

28. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र सं0 40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 28 सितम्बर, 2021 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश (संलग्न – Appendix - 01) जैसे देश में R Factor को बढ़ावा न मिले उसके लिए सही कदम उठाना एवं COVID Curfew/ Restrictions खुलने के दौरान COVID appropriate behavior के तहत Fivefold Strategy; test-track-treat, vaccination and following of COVID appropriate behavior एवं इस पत्र में उल्लेखित अन्य दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सभी संबंधितों को निर्देश दिया जा रहा है।

29. **General Directives for COVID-19 Management:**

राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा :–

i. सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

ii. सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।

iii. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।

iv. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।

30. **कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा:**

निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की अनुमति है :–

i. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।
ii. Persons with co-morbidities.
iii. गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं।
iv. 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

31. दंड के प्रावधान:

i. **'COVID - Restrictions'** का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

(डॉ0 सुखबीर सिंह सन्धु)
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबंधन।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
8. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,

18/10/2021.

(एस0 ए0 मुरूगेशन)
सचिव

Appendix-1

No. 40-3/2020-DM-I(A)
Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi-110001
Dated 28th September, 2021

ORDER

Whereas, an Order of even number dated 29th June 2021, was issued to ensure compliance to the containment measures for COVID-19, as conveyed *vide* Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW) DO No. Z.28015/85/2021-DM Cell dated 28th June, 2021, which was further extended for a period upto 30.09.2021 *vide* Orders of even number dated 28.07.2021 and 28.08.2021;

And whereas, considering the need to prevent any potential rise in number of cases in view of the upcoming festive season in the country, MoHFW vide DO No. Z.28015/85/2021-DM Cell dated 21st September, 2021, has issued an advisory to all States and Union Territories (UTs), for a continued focus on 'Prompt & Effective Containment Measures' as well as 'Acceleration in the Pace and Coverage of COVID Vaccination';

Whereas, in exercise of the powers conferred under section 6(2)(i) of the Disaster Management Act, 2005 (DM Act), National Disaster Management Authority (NDMA) has directed the undersigned to issue an Order, for containment of COVID-19 in the country;

Now, therefore, in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(l) of the DM Act, the undersigned, hereby directs the State/ UT Governments and State/ UT Authorities to consider implementation of Prompt & Effective Containment Measures, as conveyed *vide* aforesaid MoHFW advisory dated 21st September, 2021, as per **Annexure-I**, until 31.10.2021. States/ UTs, will take the necessary measures, under the relevant provisions of the DM Act. It is further directed that:

(i) The National Directives for COVID-19 Management, as specified in **Annexure II**, shall continue to be strictly followed throughout the country.

(ii) All the District Magistrates shall strictly enforce the above measures. For the enforcement of social distancing, State/ UT Governments may, as far as possible, use the provisions of Section 144 of the Criminal Procedure Code (CrPC) of 1973.

(iii) Any person violating these measures will be liable to be proceeded against as per the provisions of Section 51 to 60 of the DM Act, besides legal action under Section 188 of the IPC, and other legal provisions as applicable.

28/09/2021

Union Home Secretary
and, Chairperson, National Executive Committee (NEC)

To:

1. The Secretaries of Ministries/ Departments of Government of India
2. The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories

(As per list attached)

Copy to:

i. All Members of the National Executive Committee

ii. Member Secretary, National Disaster Management Authority

ANNEXURE-I

राजेश भूषण, आईएएस
सचिव

RAJESH BHUSHAN, IAS
SECRETARY

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Government of India
Department of Health and Family Welfare
Ministry of Health and Family Welfare

D.O. No. Z-28015/85/2021-DM Cell
21st September 2021

As you are aware, the Govt. of India has been issuing Guidelines and Advisories from time to time to the States/UTs to assist their efforts in containing the on-going Covid pandemic. Attention is specifically drawn to the letter issued on 5th January 2021 wherein Union Health Ministry had advised States to keep a "**strict vigil**" and take steps so as to curb spike in Covid cases. On 21st February 2021, 20th April 2021 and 25th April 2021, all States were advised not to lower their guard, enforce Covid Appropriate Behaviour (CAB) and to follow effective surveillance strategies in respect of potential super-spreader events. Vide D.O. No. Z-28015/85/2021-DM Cell dated 25th April 2021, a framework based on district-wise positivity rate and bed occupancy rate was provided to the States wherein the States could initiate local containment measures primarily focused on restricting inter-mingling of people on the basis of this framework. This framework was reiterated by Ministry of Home Affairs vide their Order No.40-3/2020-DM-I(A) dated 29th April 2021. Further, vide D.O no. Z-28015/01/ASH/2021-EMR dated 2nd September 2021, States were advised to ensure prompt action on the framework referred to in earlier letters and to ensure surge surveillance for Variant of Interest (VOI) and Variant of Concern (VOC). Important action points for regular follow up at State/UT level has also been reiterated by Cabinet Secretary's D.O letter No. 272/2/1/2021-CAB.III dated 20th September 2021 addressed to all Chief Secretaries.

2. Covid-19 still remains a grave and continuing public health challenge in our country. While the country is witnessing a sustained decline in the number of daily cases as well as daily deaths but the 2nd surge of Covid-19 is still not over. Globally also, the surge in cases is being reported across multiple countries. This surge in cases has reinforced the importance of implementation of Covid Appropriate Behaviour (CAB) in addition to vaccination efforts.

3. Amidst the rise in new cases of Covid-19 across the globe and even with the consistent decline in India's 2nd surge, India has 3.09 lakh active cases and is still reporting daily cases as high as 30,000. Hence, there is a need for a continued focus on **Prompt & Effective Containment Measures** as well as **Acceleration in the Pace and Coverage of Covid Vaccination** to prevent any potential rise in number of cases.

contd..2/-

Room No. 156, A-Wing, Nirman Bhawan, New Delhi-110 011
Tele : (O) 011-23061863, 23063221, Fax : 011-23061252, E-mail : secyhfw@nic.in

4. In the coming months, various festivities will follow one after the other till 31st December 2021.

Date	Festival
7th October – 14th October	Navratri
15th October	Dussehra
19th October	Milad Un-Nabi/Eid-e-Milad
24th October	Karwa Chauth
4th November	Diwali
5th November	Govardhan Puja
6th November	Bhaiya Dooj
10th November	Chhath Puja
19th November	Guru Nanak Jayanti
25th December	Christmas
31st December	New Year's Eve

5. This is a critical period as there may be a tendency to ignore COVID-safe behavior during festivals, resulting in large gatherings, events, fairs etc. It is **critical to enforce adherence to guidelines** to allow **festivities in a cautious, safe and Covid appropriate manner**. Any laxity in implementation of Covid Appropriate Behavior could lead to serious consequences and can result in a surge in cases.

6. MoHFW vide its letter dated 25th April 2021 and subsequent advisory issued by MHA on 29th April 2021 had already issued detailed instructions on **Containment Framework** and for putting restrictions to manage the spread of COVID-19 infection. **Districts were directed to undertake stringent containment measures in identified areas** based on test positivity and strain on healthcare system.

Criteria	Threshold
Test positivity	Test positivity of 10% or more in the last one week
OR	
Bed occupancy	Bed occupancy of more than 60% on either oxygen supported or ICU beds

7. However, as a matter of abundant caution, no **mass gatherings** should be allowed in areas identified as containment zones and in districts reporting **more than 5% case positivity**. Gatherings with advance permissions and limited people (as per local context) may be allowed only in districts reporting a positivity rate of 5% or below. These gatherings shall also be monitored and in case of violations of physical distancing and mask usage norms, necessary enforcement and penal actions should be taken.

contd..3/-

8. Restrictions and relaxations shall be imposed and monitored based on weekly case positivity or a high bed occupancy (Oxygen and ICU beds) and restrictions if any shall be imposed without any delay and for a **minimum period of 14** days besides continued focus on the **five-fold strategy** of Test-Track-Treat-Vaccinate and adherence to COVID Appropriate Behaviour.

9. To safely navigate through the festive season without any adverse consequences in the form of infection outbreak, it is important that States **continue to diligently follow the five pillars of COVID-19 Management** i.e. "Test-Track-Treat-Vaccinate and adherence to COVID Appropriate Behavior".

1. **Testing:**
   - To ensure availability of sufficient testing facilities across the states with particular focus on semi-urban and rural areas. For timely detection, Rapid Antigen Test (RAT) shall be made available in rural and remote areas of the State. Testing should be ramped up in areas reporting high number of cases, and/or increasing trend/ high positivity to aid early identification.
   - To ensure sufficient RT-PCR machines and RAT kits to enable required level of testing across all districts particularly during the whole festival season and adequate logistics planning accordingly.
   - Undertake testing in areas with specific and vulnerable population to aid early detection.
2. **Track:**
   - Containment zones shall be clearly delineated as per the guidelines issued by MoHFW based on cluster of cases to contain spread of infection.
   - Active case search through formation of special teams in containment zones.
   - Effective contact tracing, their testing and monitoring of high risk contacts.
3. **Treat:**
   - Upgradation of health infrastructure based on case trajectory in the district is crucial to avoid case fatality.
   - Completion of PSA Plants in hospitals both Government and private on a mission mode including availability of medical gas pipeline (MGPS), and trained manpower.
   - Availability of oxygen through oxygen cylinders and concentrators particularly in rural areas.
   - Adequate availability of drugs in all COVID dedicated facilities including maintaining buffer stock of drugs.

contd..4/-

- Availability of required health infrastructure in rural areas as per the SOP on Covid-19 Containment & Management in Rural, Peri-Urban & Tribal Areas dated 18th June 2021.

- Similarly, upgrading health infrastructure to manage paediatric Covid-19 cases vide Guidelines for Management of Covid-19 in Children.

- Undertaking upskilling/reskilling of medical staff and fields functionaries on latest Clinical Management Protocol and availability of sufficient trained manpower in all COVID dedicated facilities.

- The available funds under Emergency COVID Response Package II shall be promptly leveraged for upgrading the health infrastructure.

- To monitor mutations, if any, States shall send required number of samples as per the SOPs already issued for Whole Genome Sequencing to INSACoG Labs.

4. Vaccination:

- State-wide vaccination of eligible age groups may be accelerated.

- Coverage of eligible second dose beneficiaries shall be prioritized.

- Optimal usage of allocated doses through minimal wastage.

5. Covid Appropriate Behaviour:

- Community engagement is a critical element of sustained COVID-19 management.

- Effective IEC in local language duly utilizing medical professionals and local influencers to promote Covid-safe festivities.

- Need to undertake effective communication with community on elements of COVID-appropriate behavior which includes use of masks/face covers, following physical distancing (2 gaj ki doori) and practicing respiratory & hand hygiene.

- Need for monitoring the adherence to Covid Appropriate Behaviour and guidelines.

10. Necessary directions need to be issued adequately in advance by the State governments for practicing caution during the upcoming festival season.

contd..5/-

11. There should be strict **adherence to limits on gatherings linked with availability of space** to ensure effective physical distancing. Use of volunteers to aid thermal screenings and to enforce use of masks and physical distancing shall be considered. Closed circuit cameras may also be utilized to monitor compliance to physical distancing and use of mask.

12. Guidelines already issued with respect to malls, local markets, and places of worship, as available on MoHFW website dated 1st March 2021 and 30th November 2020 shall be strictly followed at the district level. Any violations of the guidelines shall entail imposition of necessary restrictions to avoid a spread of infection.

13. As an abundant caution, States can continue with night curfews, weekend curfews and other restrictions to highlight that COVID is still not over and to influence adherence to COVID-appropriate behavior.

14. States shall closely **monitor the case trajectories across all districts on a daily basis** to identify any early warning signals and shall ensure imposition of restrictions and adherence to COVID Appropriate Behaviour as a non-pharmaceutical intervention to control the spread of infection. It is important that these guidelines are reiterated and ensured by the State Governments amongst all concerned for effective follow up in a mission mode approach to maintain the gains made so far in COVID-19 management and avoid any resurgence of cases.

Yours sincerely,

Sd\-
(Rajesh Bhushan)

To :Chief Secretaries/Administrators of all States/UTs

Copy to : Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Health - All States/UTs

Copy for information to:-

1. Cabinet Secretary, Cabinet Sectt., Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Home Secretary, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi

(Rajesh Bhushan)

Annexure II

NATIONAL DIRECTIVES FOR COVID-19 MANAGEMENT

1. **Face coverings:** Wearing of face cover is compulsory in public places; in workplaces; and during transport.

2. **Social distancing:** Individuals must maintain a minimum distance of 6 feet (*2 gaz ki doori*) in public places.

   Shops will ensure physical distancing among customers.

3. **Spitting in public places** will be punishable with fine, as may be prescribed by the State/ UT local authority in accordance with its laws, rules or regulations.

Additional directives for Work Places

4. **Work from home (WfH):** As far as possible the practice of WfH should be followed.

5. **Staggering of work/ business hours** will be followed in offices, work places, shops, markets and industrial & commercial establishments.

6. **Screening & hygiene:** Provision for thermal scanning, hand wash or sanitizer will be made at all entry points and of hand wash or sanitizer at exit points and common areas.

7. **Frequent sanitization** of entire workplace, common facilities and all points which come into human contact e.g. door handles etc., will be ensured, including between shifts.

8. **Social distancing:** All persons in charge of work places will ensure adequate distance between workers and other staff.

APPENDIX-2

संख्या–492/xxxi(15)G/21–04(सा0)/2020

प्रेषक,

विनोद कुमार सुमन,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग   देहरादूनः दिनांक 26 जुलाई, 2021

विषयः– प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों में उपस्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन द्वारा समय–समय पर प्रदेश के समस्त कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध निर्गत शासनादेश संख्या–316/xxxi(15)G/2020–04(सा0)/2021, दिनांक 20 अप्रैल, 2021 एवं 329/ xxxi(15)G/2020–04(सा0)/2021, दिनांक 28 अप्रैल, 2021 के द्वारा समूह "क" एवं "ख" के अधिकारीगणों की शत–प्रतिशत तथा समूह "ग" एव "घ" की उपस्थिति 50 प्रतिशत के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

2– उक्त के क्रम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) का प्रभाव कम होने के दृष्टिगत उक्त शासनादेश एवं उपस्थिति के सम्बन्ध में निर्गत समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों के समस्त समूह के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति शत–प्रतिशत सुनिश्चित कराई जायेगी। इसके साथ ही साथ कोविड महामारी से बचाव हेतु समुचित व्यवस्था तथा आवश्यक सावधानी बरते जाने हेतु कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा समुचित कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेगी।

शेष शर्तें यथावत रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,
26.07.21
(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)।

क्रमशः 2/

संख्या– /xxxi(15)G/21–04(सा0)/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्रिगण महोदय के संज्ञानार्थ।
5. स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।